



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2398]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 10, 2013/आश्विन 18, 1935

No. 2398]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2013/ASVINA 18, 1935

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2013

**का.आ. 3091(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ चार वां संशोधन नियम, 2013 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “ख. व्यय विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 12 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“13. प्रत्यक्ष हितलाभ अंतरण स्कीम और उससे संबंधित मामले।”।

प्रणब मुखर्जी  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/3/2013-मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक (मंत्रिमंडल)

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2013

**S.O. 3091(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fourth Amendment Rules, 2013.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)”, after entry 12, the following entry shall be inserted, namely:—

“13. Direct Benefits Transfer Scheme and matters related thereto.”.

PRANAB MUKHERJEE  
President

[F. No. 1/22/3/2013-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director (Cabinet)